न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –84/2019

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
अजीत पुत्र जसाराम जाट (खोखर), निवासी गोटन, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।		तहसीलदार मेड़ता, जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से भंवरलाल चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 16-12-19

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार मेड़ता द्वारा मुकदमा नम्बर 13/2017 अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.11.2019 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील ताबेउज़ मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्टस् ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिनुसार सुनवाई का अवसर दिये बिना ही व उसको सूचित किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी। पटवारी हल्का जब मौके पर आया तथा उसके अपीलांट को उसके कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी, तब अपीलांट माननीय अधिनस्थ न्यायालय में गया तथा नकले प्राप्त कर उक्त अपील पेश की जो जानकारी के दिवस से अन्दर मयाद पेश है। जिसे अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाने का आदेश प्रदान कराने का कथन करते हुए मयाद की अवधि में छूट प्रदान करते हुए उक्त अपील को अन्दर मयाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निस्तारण करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलांट के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि खेत खसरा नम्बर 304 रकबा 2.97 हैक्टेयर मौजा गोटन अपीलांट व उसके भाई तथा उनके पिता के कब्जे काश्त व खातेदारी का था। जिसका वर्तमान में रकबा 2.97 हैक्टयर के स्थान पर मौके पर रकबा 2.25 हैक्टेयर ही है। उक्त खेत के पूर्व में खसरा नम्बर 303 गैर मुमकीन मंगरा की भूमि है। अपीलांट के उपरोक्त खेत का करीब 2 बीघा रकबा बंदोबस्त अधिकारीयों ने अपीलांट की खातेदारी में से कम करके खसरा नम्बर 303 गैर मुमकीन मंगरा में दर्शा दिया। जिसकी जानकारी अपीलांट व उसके पिता को नहीं थी क्योंकि, मौके पर उक्त खेत खसरा नम्बर 2032/304 के चारों तरफ कदीम से सीवें कायम है तथा रेस्पोडेंट की तरफ से भी अपीलांट को कभी कोई अतिक्रमी बताते हुये नोटिस नहीं दिया गया। अपीलांट के उपरोक्त कथन की पुष्टि खेत खसरा नम्बर 303 गैर मुमकीन मंगरा के खसरा नम्बर 1081 मिन की खसरा परिवर्तनशील से होती है खसरा परिवर्तनशील व गिरदावरी में अपीलांट व उसके पिता का करीब 2 बीघा रकबे पर समय पर काश्त करने व कब्जा होना दर्ज होता रहा है। उक्त खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां अपील के साथ के पेश की गई है। इसके अलावा उक्त रकबे पर अपीलांट की पुरानी रहवासीय ढाणी बनी हुई हैं जिससे उसका उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होने

कलक्टर, नागौर

की पुष्टि होती है। इसके बावजूद माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिनुसार सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया, उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश की है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों पर विचार किये बिना ही एकतरफा आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है।

माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नोटिस की विधिनुसार अपीलांट पर कोई तामील नहीं करवाई। इसके अलावा अपीलांट को जारी नोटिस पर उसकी भाभी संतोष से तामील होने का कथन किया है जबकि संतोष व उसका पति अपीलांट के संयुक्त परिवार के सदस्य नहीं है और न ही नोटिस पर तामील होने की तारीख का कोई उल्लेख है और न ही किसी मौतबिरान के हस्ताक्षर है। जो पर्याप्त तामील नहीं है। इस प्रकार माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सूचना दिये ही निर्णय जैर अपील पारित किया है जो विधिनुसार अवैध व शून्य है माननीय अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांट को सूचित किये बिना किसी भी प्रकार का अंतिम निर्णय पारित करने का कोई हक व अधिकार क्षेत्र नहीं था। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करता तो वह विवादग्रस्त खसरा नम्बर 303 गैर मुमकिन मंगरा पर अपने पुराने कब्जे के संबंध में दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य पेश करता और राज्य सरकार के नियमन के संबंध में जारी सर्कुलर के अनुसार व जमीन की किस्म को देखते हुए वादग्रस्त रकबा 2 बीघा को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड मानकर नियमन करने की कार्यवाही करने के लिये निवेदन करता मगर अधिनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलांट को सूचना दी न ही स्वंय के स्तर पर अपीलांट के पुराने कब्जे के संबंध में कोई जांच की, इस वजह से निर्णय जैर अपील अवैध होने से अपास्त होने योग्य है।

खेत खसरा नम्बर 304 रकबा 2.97 हैक्टेयर मौजा गोटन अपीलांट व उसके भाई तथा उनके पिता के कब्जे काश्त व खातेदारी का था। जिसका वर्तमान में रकबा 2.97 हैक्टेयर के स्थान पर मौके पर 2.25 हैक्टेयर करते हुए सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने 0.35 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 303 में मिला दी, इस प्रकार से अपीलांट का मंगरा की किसी भी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है बल्कि अपीलांट का खेत ही है। जिसके चारो तरफ सींवे माठें बनी हुई है। इसके बावजूद अपीलांट को सुनवाई, जवाब व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अवैध होने से अपास्त होने योग्य है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने न तो पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये और न ही धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में उल्लेखित आरोपो को पटवारी हल्का साबित कर पाया, इसके बावजूद अपीलांट को सुनवाई का विधिनुसार अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अवैध है, का कथन करते हुए न्यायालय तहसीलदार मेडता द्वारा मुकदमा नम्बर 13/2017 अधीन धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2018 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

राजपैराकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त गैर मुमकिन मगरा की भूमि पर जीरा, पट्टियां रोपकर व तारबन्दी कर कब्जा कर अतिकमण करना साबित होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। ग्राम गोटन के खसरा नम्बर 303 की गैर मुमकिन मगरा की 0.35 हैक्टयर भूमि पर अपीलान्ट अजीत द्वारा जीरा, पट्टियां रोपकर व तारबन्दी करके नाजायज कब्जा की पटवारी गोटन एवं भू अभिलेख निरीक्षक गोटन की रिपोर्ट दिनांक 19.01.2018 पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट अजीत को नोटिस जारी किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जारी तारीख पेशी 09.02.18 का नोटिस अपीलान्ट के बड़े भाई की पत्नी सतोष से तामील होकर अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुआ। तारीख पेशी दिनांक 09.02.18 को अपीलान्ट के उपस्थित नहीं होने पर मुतनाजा भूमि पर अपीलान्ट को अतिकमी घोषित कर मौके से बेदखली जुर्माना का निर्णय पारित किया।

अपीलान्ट द्वारा प्रकरण ने उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 304 में से 2 बीघा रकबा बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा कम करके खसरा नम्बर 303 गैर मुमकिन मंगरा में दर्शा दिया जाना व

खसरा परिवर्तनशील व गिरदावरी में अपीलान्ट व उसके पिता का करीब 2 बीघा रकबे पर काश्त करना व कब्जा होना अवगत कराया है। हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को भी युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिये बिना हीं निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो उचित नहीं है। अतः उपरोक्त कारणों से प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 09.02.2018 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता को प्रतिप्रेषित कर उपर्युक्त विवेचन में दिये गये तथ्यों के संबंध में पुनः विधिवत सुनवाई कर नियें सिरे से निर्णय पारित करने के निर्देश दिये जाते है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.01.22 18:15:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: